न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश रायबरेली

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०- 960/2025

सलीम बनाम राज्य आदि

दिनांक- 10.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार न्यायालय समक्ष उपस्थित हैं।

आज पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 5क अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम नियत है।

प्रार्थनापत्र 5क अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम का निस्तारण

1- प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 5क मय शपथपत्र 6ख अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत करते हुए निगरानी दायर करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने की याचना किया गया है।

2- प्रार्थी/निगरानीकर्ता का कथन है कि प्रार्थी ने नगर मजिस्ट्रेट रायबरेली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.05.2025 अंतर्गत धारा-145 दं०प्र०सं० के विरूद्ध यह निगरानी योजित की है जो विलंबित हो गयी है। निगरानी योजित करने में हुए विलंब का कारण प्रार्थनापत्र 5क में दर्शाया गया है। प्रार्थिनी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। अतः निगरानी दायर करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए निगरानी को गुण-दोष पर निस्तारित किया जाये।

3- प्रतिपक्षीगण द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी है।

4- मैंने प्रार्थी/निगरानीकर्ता एवं प्रतिपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

5- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट रायबरेली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.05.2025 अंतर्गत धारा-145 दं०प्र०सं० को निगरानी के माध्यम से चुनौती देना चाहता है। उक्त निगरानी मियाद बाद 2 माह, छः दिन के विलंब से दाखिल किया गया है। न्याय की मंशा होती है कि किसी भी वाद का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर और गुण-दोष पर किया जाना, न सिर्फ न्यायहित में होता है बल्कि पक्षकारों के हित में भी होता है। विलम्ब से दायर की गयी निगरानी की भरपाई हर्जे से किया जा सकता है।

6- अतः तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र 5क अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 5क अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम तदनुसार 500/-रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। निगरानी दायर करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

हर्जा अदायगी के उपरांत निगरानी पत्रावली अंगीकरण के बिंदु पर सुनवाई हेतु जिला न्यायाधीश रायबरेली के न्यायालय में भेजी जाये। पक्षकार सुनवाई हेतु जिला न्यायाधीश रायबरेली के न्यायालय में दिनांक **25.08.2026** को उपस्थित रहें।

(अमित कुमार पाण्डे)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश,
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2026.08.11 10:25:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Raebareli